



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 173 राँची, मंगलवार, 21 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-164/2016-19592 (HRMS)--अरुण कुमार खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-865/03, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के जापांक-930/स्था०, दिनांक 20.12.2016 द्वारा श्री खलखो के विरुद्ध बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं कार्यालय अवधि में शराब का सेवन करने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया। पुनः उपायुक्त, कोडरमा के जापांक-244/स्था०, दिनांक 28.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री खलखो बिना सूचना के लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने के पश्चात् उन्होंने दिनांक 17.03.2017 को जिला मुख्यालय में योगदान दिया तथा दिनांक 17.04.2017 को विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु मुख्यालय से गये हैं, परन्तु उक्त तिथि से अभी तक बिना सूचना के कार्यालय में लगातार अनुपस्थित हैं। उक्त के आलोक में उपायुक्त, कोडरमा द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है ।

श्री खलखो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-7630, दिनांक 29.06.2017 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1758(hrms), दिनांक 15.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। विभागीय जाँच पदाधिकारी पदाधिकारी के पत्रांक-280, दिनांक 07.11.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री खलखो के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है । विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-5467(hrms) दिनांक 21.05.2020 द्वारा श्री खलखो को निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-2578, दिनांक 27.05.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री खलखो के पत्रांक-966, दिनांक 16.11.2022 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा निम्नवत् है-

“वर्ष 2015 में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में बायोमैट्रिक प्रणाली में क्रमशः एक दिन, पन्द्रह दिन एवं एक दिन उपस्थिति दर्ज बतायी गई है, के संबंध में कहना है कि तत्समय उनकी सास गंभीर रूप से बीमार थी, जिसके कारण वे मानसिक रूप से तनाव में रहते थे और कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्यों का निष्पादन करते रहे, परन्तु बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज नहीं कर सके ।

दिनांक 03.09.2015 को प्रातः उनकी सास की मृत्यु की सूचना मिली, सूचना मिलने के पश्चात् वे उपायुक्त, कोडरमा के आवासीय कार्यालय में अवकाश हेतु आवेदन देने हेतु गये। परन्तु उपायुक्त, कोडरमा से मुलाकत नहीं हो पाने के पश्चात् उनके आवासीय गोपनीय कार्यालय में ही आवेदन देकर राँची के लिए प्रस्थान कर गये। दिनांक 12.09.2015 को कार्यालय में उनकी खोज की गई। उस दिन ईसाई धर्म रीति के अनुसार मिस्सा प्रार्थना का आयोजन किया गया था, जिसकी अचानक सूचना मिलने के कारण वे आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके तथा दिनांक 14.09.2015 को बस के माध्यम से कार्यालय वापस लौटने में विलंब हो गया। मानसिक तनाव के कारण भूलवश कार्यालय में सूचना नहीं दे सके ।

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-1376/गो०, दिनांक 15.09.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। तत्समय सास की मृत्यु के श्राद्धकर्म में व्यस्त थे। इस कारण वे उक्त स्पष्टीकरण का तत्समय कारण पृच्छा जवाब नहीं दे सके थे। कोडरमा जिला में पदस्थापन के पश्चात करीब दो वर्षों से वेतन की निकासी नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे वे शारीरिक रूप से दुर्बल एवं मानसिक तनाव में रहते थे। चिकित्सक द्वारा ईलाज भी चल रहा था, फिर भी वे कार्यालय कार्यों का निर्वहन तत्परता से कर रहे थे। अतः द्वितीय कारण पृच्छा से मुक्त की जाय। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ।”

श्री खलखो द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री खलखो द्वारा कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं बायोमैट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज नहीं करने के संबंध में अपनी सास की गंभीर बीमारी के कारण वे मानसिक रूप से तनाव में रहने का उल्लेख किया गया है, परन्तु उनके द्वारा कार्यालय अवधि में शराब का सेवन करने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में दोनों आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2016 को आरोपी की चिकित्सीय जाँच कराने पर SERUM ALCOHOL -288mg/dl पाया गया, जिससे शराब के सेवन की पुष्टि होती है।

संचिका में रक्षित अभिलेखों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि श्री खलखो द्वारा न तो उपायुक्त, कोडरमा द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया है और न ही विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब दिया। विभागीय कार्यवाही के संचालन में भी श्री खलखो अनुपस्थित रहे हैं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री खलखो द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अरुण कुमार खलखो, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा संप्रति- कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह को उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरुण कुमार खलखो, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARUN KUMAR KHALKHO JHK/JAS/22	श्री अरुण कुमार खलखो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-865/03, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
